Shah, Shrimati Jayaben
Sharma, Shri D.C.
Sharma, Pandit K.C.
Sharma, Shri R.C.
Siddananjappa, Shri
Singh, Shri Babunath
Singh, Shri D.N.
Singh, Shri M.N.
Sinha, Shri B.P.
Sinha, Shri Satyendra Narayan
Sinhasan Singh, Shri
Somani, Shri
Soren, Shri
Subbarayan, Dr. P.
Sultan, Shrimati Maimoona
Sunder Lal, Shri
Swaran Singh, Sardar
Tahir, Shri Mohammed
Thimmaiah, Shri
Thomas, Shri A.M.
Tiwary, Pandit D.N.
Uike, Shri
Upadhayaya, Shri Shiva Datt
Vedakumari, Kumari M.
Vyas, Shri Radhelal
Wadiwa, Shri

The motion was negatived.

Mr. Speaker: I will now put the substitute motion of Shri Frank Anthony. The question is:

That for the original motion, the following be substituted, namely:—

"This House having considered the statement by the Finance Minister on his visit to the U.S.A., Canada, the U.K. and West Germany laid on the Table of the House on the 13th November, 1957, records its approval of the contents thereof."

The motion was adopted.

DELHI MUNICIPAL CORPORATION BILL

Mr. Speaker: The House will now resume further clause-by-clause consideration of the Delhi Municipal Corporation Bill, 1957. Out of 6 hours agreed to by the House for clause-by-clause consideration and third reading of the Bill, 1 hour and 30 minutes have already been availed of and 4 hours and 30 minutes now remain.

The House will now take up clause 59. Which are the amendments that hon. Members would like to move or treat as moved—Amendments Nos. 115, 116, 117, 118 and 119? I see no hon. Member rising.

The question is:

"That clause 59 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 59 was added to the Bill.

Clause 60— (*Appointment, etc. of the General Managers*)

Shri Vajpayee (Balrampur): I am moving amendments Nos. 50 and 51.

Mr. Speaker: What about amendment No. 120? It is the same as 50.

Shri Vajpayee: I beg to move:

Page 39, lines 11 and 12,—

omit "with the approval of the of the Central Government".

Page 39, lines 20 and 21,—

for "not less than three-fifths of the total number of members" *substitute* "the total number of members and by a majority of not less than two-thirds of those present and voting"

इस धारा में जो दो संशोधन उपस्थित किये गये हैं उन का उद्देश्य कारपोरेशन को इस बात का अधिकार देना है कि वह एलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट के जेनरल मैनेजरों की नियुक्ति कर सकें । अभी ६०वी धारा में जो व्यवस्था की गई है उस के अनुसार कारपोरेशन इस बात के लिये बंधा हुआ होगा कि वह केन्द्रीय सरकार की अनुमति से एलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट के जेनरल मैनेजर नियुक्त करे । मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिये कि जिस व्यक्ति को वह उपयुक्त समझे उसे इन पदों पर नियुक्त कर दे। आवश्यकता हो तो इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है कि जो भी व्यक्ति नियुक्त

[Shri Vajpayee]

किया जाये उसे पब्लिक सर्विस कमिशन पसन्द करे लेकिन जहा तक केन्द्रीय सरकार की अनुमति का प्रश्न है, यह उचित नही है । कारपोरेशन का अधिकार इतना सीमित नही किया जाना चाहिये ।

इसी बारे मे मैने एक और संशोधन उपस्थित किया है । वह भी, कारपोरेशन के नीचे जो भी जैनरल मैनेजर होगे उनको किस तरह से हटाया जाये, इससे संबंध रखता है । अभी जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार इस सम्बन्ध में कारपोरेशन की जो भी बैठक बुलाई जायगी उस के लिये यह आवश्यक होगा की वह इस तरह का प्रस्ताव ३१५ के बहुमत से पास करे ।

15.17 hrs.

[MR DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

मै ने इस के स्थान पर यह संशोधन रखवा है के जितने भी सदस्य वहा मौजूद हो और इस प्रकार के जेनरल मैनेजर के विरुद्ध आने वाले निन्दा प्रस्ताव पर वोट दे, उनका केवल २।३ का बहुमत इस सम्बन्ध में निर्णायक होगा । मै समझता हू कि दोनो संशोधन स्वीकार किये जाने लायक है । किन्तु कल से जैसा रवैया दिखाई दे रहा है, उससे मुझे आशा तो अधिक नही है ।

Mr. Deputy-Speaker: These two amendments are before the House

Pandit G. B Pant: The amendment seeks to provide that the General Managers may be removed when a resolution to that effect is passed by a majority of not less than two-thirds of the number of members present and voting. That matter was considered fully in various stages. This is based on a like provision, I think, in the Bombay Corporation Act. I do not think that any change would be for the good of the Corporation or would conduce to enhance the efficiency of the services which have to be controlled and guided by the General Managers.

Mr Deputy-Speaker: The question is:

Page 39, lines 11 and 12,—

omit "with the approval of the Central Government"

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

Page 39, lines 20 and 21,—

for "not less than three-fifths of the total number of members" *substitute* "the total number of members and by a majority of not less than two-thirds of those present and voting"

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 60 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 60 was added to the Bill.

Clauses 61—65

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clauses 61 to 65 (both inclusive) stand part of the Bill".

The motion was adopted

Clauses 61 to 65 (both inclusive) were added to the Bill.

Shri Panigrahi (Puri): There is no quorum.

Mr. Deputy-Speaker: The bell is being rung. Now there is qorum.

Clause 66.— (*Commissioner and General Managers not to be interested in any contract, etc., with the Corporation*)

Shri Vajpayee: I beg to move:

Page 41, lines 36 and 37,—

omit "unless the Corporation in any particular case otherwise decides,"

६६वीं धारा पर जो दूसरा उपबन्ध है उसकी शब्दावली इस प्रकार है :

"If the Commissioner, or any of the General Managers, acquires directly or indirectly, by himself or by his partner, or any other person, any share or interest in any such contract or work as is referred to in sub-section (1) he shall, unless the Corporation in any particular case otherwise decides, be liable to be removed from his office by the order of the authority competent to remove him under the provisions of this Act:"

इसमे मेरा संशोधन इस प्रकार है :

omit "unless the Corporation in any particular case otherwise decides,"

इस की यहा पर आवश्यकता नही है। अगर कोई पदाधिकारी, कमिश्नर या जेनरल मैनेजर इस धारा के उ बन्ध (२) के अनुसार किसी इस प्रकार के ठेके मे अपने को सम्बद्ध कर देता है, जो कि उचित नही है, जिस से उसे नाजायज लाभ होने की आशंका है, तो उस व्यक्ति को उसी समय, जब कि वह अपने को ठेके के साथ जोड़ता है, या अनुचित कार्य में अपने को ग्रंथित करता है, उसके पद से हटा देना चाहिये। लेकिन यहां पर कारपोरेशन को इस बात की छूट दी गई है कि वह हटाना चाहे या न हटाना चाहे। अगर किसी पदाधिकारी ने कोई गलत काम किया है, इसी विधेयक के अनुसार गलत काम किया है, तो उसे एक दम अपने पद से हटा देना चाहिये। इस सम्बन्ध में कारपोरेशन को अधिकार देना ठीक नहीं है। मुझे इस बात का भी दुःख है कि जहां कारपोरेशन को अधिकार देना चाहिये वह नही दिया जा रहा है और जिस अधिकार को देने की आवश्यकता नही है, उसे दिया जा रहा है। कारपोरेशन में किस का बहुमत होगा, मैं इस की चर्चा नही करता। लेकिन जो बहुमत वाला दल होगा वह इस प्रकार का अपवाद सामने रक्खेगा कि जिस व्यक्ति को इस विधेयक की धारा के अनुसार हटा देना चाहिये वह अपने पद पर कायम रहेगा।

श्री च० कृ० नायर (बाह्य दिल्ली) : हटायेगा कौन ?

श्री वाजपेयी : हटाने की इस में व्यवस्था दी गई है। कारपोरेशन हटायेगा। लेकिन इस में

"unless the Corporation in any particular case otherwise decides"

इस तरह का कोई अपवाद जोड़ने की आवश्यकता नही है। इसके सम्बन्ध मे हमे बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिये।

Mr. Deputy-Speaker: The amendment is before the House.

Shri Datar: May I point out that there might be circumstances under which this irregularity might be condoned by the Corporation? It is not necessary that every such irregularity is dishonest. There might be cases where after going through all the circumstances, the Corporation can consider that the matter need not be pursued. Therefore, these are powers, more or less of a discretionary nature and ultimately they are given to the Corporation itself. Therefore, this enabling provision should be retained.

Mr. Deputy-Speaker: The question is

Page 41, lines 36 and 37,—

omit "unless the Corporation in any particular case otherwise decides,"

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 66 stand part of of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 66 was added to the Bill.

Clauses 67 to 74 (both inclusive) were added to the Bill.

Clause 75— (*Quorum*)

Shri Vajpayee: I beg to move:

Page 45,—

after line 16, add—

"Provided that such adjourned meeing shall not be held earlier than seventy-two hours after the time schedule for the original meeting."

इस क्लाज की तीसरी धारा में जो भी कारपोरेशन की बैठकें होंगी उन के सम्बन्ध में कुछ निर्देश दिये गये हैं, और ऐसा कहा गया है कि अगर कारपोरेशन की कोई बैठक इस सेक्शन के सब सेक्शन २ के अनुसार स्थगित कर दी जाये कोरम के अभाव में, तो दूसरी जो भी बैठक बुलाई जायेगी, उसमे कोरम की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होगी । इस व्यवस्था से मुझे कोई विरोध नही है । अगर किसी बैठक मे कोरम नही होगा तो बैठक स्थगित कर दी जायेगी और दूसरी बैठक बुलाई जायेगी । लेकिन प्रश्न यह है कि दूसरी बैठक कब बुलाई जायेगी । अभी बैठक में कोरम नही है और बैठक स्थगित कर दी गई । पद्रह मिनट के बाद दूसरी बैठक बुलाई गई । मेरा निवेदन यह है कि अगर कोरम नहीं है तो दूसरी बैठक के लिये इस बात का तो समय दिया जाये कि जो सदस्य नही आये हैं, उनको सूचना मिल सके । इस बात की आशंका है कि अगर एक बार बैठक नही हुई तो बिना सूचना दिये दूसरी बैठक इस धारा के अनुसार बुला ली जायेगी और जो भी काम निपटाना है वह निपटा लिया जायेगा । इस लिये मैंने यह संशोधन रक्खा है कि इस अंश को इस धारा के अन्दर जोड़ दिया जाये ।

श्री मधल प्रभाकर : यह रूल्स में आ जायेगा

श्री वाजपेयी :

"Provided that such adjourned meeting shall not be held earlier than seventy two hours after the time scheduled for the original meeting ".

मैं समझता हूं कि यह अगर नियम में आ सकता है तो इस में भी जोड़ने में कोई हानि नही है ।

Mr. Deputy-Speaker: The amendment is before the House.

Shri Datar: I oppose this amendment. Whenever a meeting has been adjourned, then there is no rule that a particular time limit should be fixed. Sometimes it might be necessary to have a meeting almost immediately There are provisions in the other Acts relating to corporations where it is open for the corporation to have a meeting almost the next day. Under these circumstances, it would not be proper to bind the Corporation to any such time-limit.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

Page 45,

after line 16, *add*—

"Provided that such adjourned meeting shall not be held earlier than seventy-two hours after the time scheduled for the original meeting."

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 75 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 75 was added to the Bill.

Clauses 76 to 93 (both inclusive) were added to the Bill.

Clause 94— (*Officers and other employees not to be interested in any contract, etc., with the Coporation*)

Shri Vajpayee: I beg to move:

Page 53, lines 31 and 32,

omit "unless the authority appointing him in any particular case otherwise decides"

यह संशोधन भी उसी संशोधन से मिलता जुलता है जिसे अभी स्वीकार नहीं किया गया है। किन्तु फिर भी मैं इसे निष्काम भावना से उपस्थित कर रहा हूं। इसमें किसी अफसर या कर्मचारी को हटाने के बारे मे व्यवस्था की गयी है और यहां भी उसी तरह का एक अपवाद छोड़ा गया है। अभी हमारे गृह-मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ मामलों में इस तरह की छूट देना आवश्यक है। मेरा निवेदन है कि ईमानदारी से गडबड़ की जाती है या बेईमानी से इसका फैसला तो बड़ा मुश्किल है। नीयत के बारे में कानून की भी अपनी सीमायें है। अगर सचमुच में हम भ्रष्टाचार को जड़मूल से उखाड़ना चाहते हैं तो इस प्रकार की किसी भी छूट को नही दिया जाना चाहिये जिसका दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना हो। मै ऐसा नही कहता कि दुरुपयोग किया जायेगा किन्तु दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना हो सकती है और उसी को समाप्त करने के लिये मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है। इस धारा की शब्दावली इस प्रकार है :

If any such officer or other employee acquires, directly or indirectly, by himself or by a partner or any other person any share or interest in any such contract or work as is referred to in sub-section (1), he shall, unless the authority appointing him in any particular case otherwise decides, be liable to be removed from his office by an order of such authority:"

मेरा निवेदन है कि इसमें आथारिटी को भी किसी प्रकार का अपवाद रखने का अधिकार नही होना चाहिये : अथारिटी क्यों ऐसा निर्णय करेगी कि इस अफसर को बनाये रखा जाये। इसमें स्पष्ट लिखा है कि वह अधिकारी या कर्मचारी किसी भी प्रकार के लाभ को प्राप्त करेगा। लाभ अगर प्राप्त किया जायेगा तो जानबूझ कर किया जायेगा। इस प्रकार के लाभ आसमान से तो टपकने वाले नहीं हैं और अगर वह या उसके रिश्तेदार इस प्रकार के लाभ प्राप्त करते हैं तो वह फिर अपने पद पर बना रहने के योग्य नहीं है। उसे अविलम्ब वहां से हटा देना चाहिये और उस आथारिटी को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह उसके अपराध को क्षमा प्रदान कर सके। इसी प्रकार के संशोधन के सम्बन्ध में गृहमंत्री महोदय ने जो कुछ कहा था वह मेरी समझ में नहीं आता और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार फिर से इस संशोधन पर विचार करें।

पंडित गो० ब० पन्त : इस बिल की इस धारा में यह दिया हुआ है :

"A person shall be disqualified for being appointed as a municipal officer or employee if he has directly or indirectly, by himself or by a partner or any other person any share or interest in any contract.....etc."

ये जो लफ्ज हैं ये बहुत वसीय हैं। इन के अन्दर अगर किसी आदमी के किसी रिश्तेदार का सौवां हिस्सा भी किसी तरह आ जाये और वह हिस्सा चाहे उसे विरासत न मिल जाये तब भी वह इससे डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसके अन्दर लोगों को

[पंडित गो० ब० पन्त]

डिस्क्वालीफाई करने की इतनी ज्यादा गुंजाइश है कि जिसका असल में कोई भी ताल्लुक न हो वह भी आ सकता है। इसलिये इसमें इन शब्दों को रखते हुये ताकि गरिफ्त काफी रहे यह भी लिखना जरूरी है कि अगर वह आदमी ऐसा दोषी नहीं है जिसके बारे में कोई शुबहा हो सके कि जिसका असर उसके ऊपर पड़ सकता है, बल्कि वह सिर्फ लफ्जी या टैक्नीकल तरीके से उसमें आता है तो उसको रखा जा सकेगा बशर्ते कि खास तौर पर वजूहात देकर यह फैसला किया जाये।

Mr. Deputy-Speaker: The amendment is before the House.

Shri C. K. Nair: Is it possible that he may be given a chance to give up that connection, interest, etc.?

Pandit G. B. Pant: That is provided; that is there.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

Page 53, lines 31 and 32,—

omit "unless the authority appointing him in any particular case otherwise decides,"

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 94 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 94 was added to the Bill.

Clauses 95 and 96 were added to the Bill.

Clause 97— (*Power of Commission make Regulations and reference to the Central Government in case of difference between the Commission and the Corporation*).

Amendment made:

Page 55, lines 13 and 14, *omit* "after consultation with the Corporation".

[Shri Datar]

Pandit G. B. Pant: May I just say a word? After the deletion of the words "after consultation with the Corporation", sub-clause (2) of clause 97 becomes meaningless. It has to be deleted by way of a consequential change or as a corollary.

Shrimati Renu Chakravartty (Basirhat): Is it not right that at least when it is placed before the House, the hon. Minister should explain why this has been done?

Pandit G. B. Pant: The public Service Commission say that they are never required to consult anybody even when Government appointments of a very high order are to be made. Then, they frame Regulations, but do not consult Governments. They think that it is not consistent with their policy or prestige to have such a provision here. We have to be guided by them. We cannot insist on their undertaking this task as under the ordinary law or statute they are not bound to make appointments or selections for the Corporation. So, we have agreed to their suggestion.

Shrimati Renu Chakravartty: The whole of clause 97 goes?

Pandit G. B. Pant: The whole of it remains. Only the words "after consultation with the Corporation" go. Regulations shall be made, they will be published and they will be finalised. But, sub-clause (2), which deals with difference of opinion between the Corporation and the Commission, I think should go.

Mr. Deputy-Speaker: That is, a further amendment has to be put to the House, that the sub-clause be omitted.

Pandit G. B. Pant: Let it remain there. I am told that sub-clause (2) still can serve some purpose though I myself do not quite see how it can.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 97, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 97, as amended, was added to the Bill.

Clauses 98 to 112 (both inclusive) were added to the Bill.

Clause 113—(*Taxes to be imposed by the Corporation under this Act*)

Shrimati Renu Chakravartty: I just wanted to make one or two remarks on this question of taxes.

The first point is that in the Joint Committee we made a suggestion that there should be a rationalisation of the terminal-tax structure as the present one is very outmoded. I would like the hon. Home Minister to make the position clear to the House, as also regarding the allocation of funds for stamp duty.

The second point which I would like to mention is about clause 114 regarding components and rates of property taxes. There one small point has been accepted that the rateable value of less than Rs. 100 will be exempt from general tax on lands, but what we have felt was that throughout the tax structure there should be relief for the lower income groups, and that Rs. 100 would be too low a figure taking into consideration the present cost of living and other rise in costs. Therefore, this method of adopting a progressive scale for property tax which has been actually supported by the Local Finance Enquiry Committee and also by the Taxation Enquiry Commission we felt was very essential for all local bodies to adopt.

The third point which is also of very great importance to us which we would like to oppose is clause 119 with regard to taxation of Union property.

Mr. Deputy Speaker: I will come to clause 119 later.

Shri Vajpayee:

I beg to move:

Page 64, line 24,—

(i) *after* "vehicles" *insert* ";"; and

(ii) *add* at the end—

"other than milch cattle"

Page 64 *after* line 30, add—

"(h) Terminal taxes".

इस धारा में टैक्सों के बारे में विवरण दिया गया है। मैंने पहले भी इस बात पर आग्रह किया था कि वैहिकिल्स के टैक्स में से साइकिल को निकाल देना चाहिये और साथ ही जहां पशुओं के ऊपर टैक्स लगाने की बात कही है वहां हमें यह कहना चाहिये कि दुधारू पशुओं पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जायेगा। दिल्ली और नई दिल्ली में आज की बढ़ती हुई महंगाई में और टैक्स के बोझ से नीचे पिसते हुये जन जीवन को देखते हुये इस बात की आवश्यकता है कि हम लोगों को दुधारू पशुओं को पालने का और अपने पास रखने का प्रोत्साहन दें। इस सदन में जब कभी भी गोहत्या पर कानून से प्रतिबन्ध लगाने की बात कही जाती है सरकारी पक्ष इस बात पर आग्रह करता है कि कानून से गोहत्या बन्द नहीं होगी। लोग अगर गाय पालेंगे तो गाय की रक्षा होगी। मैं भी इस विचार से कुछ अंश तक सहमत हूं और चाहता हूं कि लोग गाय पालें। लेकिन दिल्ली और नई दिल्ली के अन्दर कौन गाय पालेगा? चारा कितना महंगा हो गया है। दुधारू पशु के रखने के लिये जगह की कमी है और उस सब के ऊपर कारपोरेशन उनके ऊपर टैक्स भी लगाना चाहता है। मेरा निवेदन है कि अगर पशुधन की रक्षा करने का और दूध

के उत्पादन को बढ़ाने का और लोगो के स्वास्थ्य को सुधारने का अगर सचमुच में हमारी सरकार का वास्तविक इरादा है तो इस कारपोरेशन के अन्तर्गत दुधारू पशुओ पर किसी तरह का टैक्स नही लगाना चाहिये। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि दूध पीने की जरूरत ही नही है। मै उनसे अपना मतभेद प्रकट करना चाहता हू। बडे बूढ़े दूध न पीये मगर बच्चो के लिये तो दूध की जरूरत है। और उनका विचार करके अगर दुधारू पशुओ पर टैक्स न लगाया जाये तो हमारी सारी घोषणाओ के अनुकूल होगा।

एक सशोधन मैंने और उपस्थित किया है जिसके अनुसार कारपोरेशन को टरमिनल टैक्स लगाने और वसूल करने का भी अधिकार होना चाहिये। कारपोरेशन की आमदनी बढे और कारपोरेशन को जो उत्तरदायित्व सौपे जा रहे है उनका वह ठीक तरह से निर्वाह कर सके इस दृष्टि से टरमिनल टैक्सेज लगाने और वसूल करने का अधिकार कारपोरेशन को होना चाहिये।

Mr. Deputy-Speaker: The two amendments are before the House

श्री गो० ब० पन्त जहा तक गायो की हत्या का सवाल है वह तो दिल्ली मे अब भी होती नही। उसको रोकने का कोई सवाल यहा इसलिये उठता नही। जहा तक पशुओ पर टैक्स लगाने की बात है यह तो यहा के कारपोरेशन के हाथ की बात है। यह नही है कि अगर कोई टैक्स हम लगाते हैं तो उनको भी लगाना पडेगा। लेकिन उनको अख्तियार है कि वह चाहें तो ऐसा करें। दिल्ली जैसे शहर में जहां कि आदमियों के रहने के लिये भी जगह नही होती पशुओं को रखने का एक मुकम्मिल इन्तिजाम होना चाहिये। जिससे कि यहा का स्वास्थ्य और सफाई अच्छी बनी रहे। जो इस तरह का इन्तजाम कर सकता है वह टैक्स देकर वहा की सफाई करवा सकता है क्योकि जो इस तरह के पशु रखे जाते हैं तो उनकी वजह से सैनीटेशन के लिये भी कुछ खास काम करना होता है। इसके लिये रेग्यूलेशन होगे। इसलिये इस कायदे को रखना कुछ नुकसानदेह नही है।

Shrimati Renu Chakravartty: What about my point about terminal tax?

Pandit G. B. Pant: About this terminal tax what Shrimati Renu Chakravartty said is quite right In the Joint Committee this question was raised and I had said that we would examine the schedule and if we could prepare, we would produce an alternative schedule We have examined the position and also consulted the Members of Parliament belonging to Delhi, and we found that we could not prepare any elaborate schedule ourselves It would be best to leave it to the Corporation So, we found ourselves helpless So, we are unable to make any alternative suggestions at this stage

Mr. Deputy-Speaker The question is

Page 64, line 24,—

(i) after "vehicles" *insert* ",", and

(ii) *add* at the end—

"other than milch cattle"

The motion was negatived

Mr. Deputy-Speaker: The question is

Page 64,—

after line 30, *add*—

"(h) Terminal taxes".

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 113 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 113 was added to the Bill.

Clauses 114—118.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clauses 114 to 118 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 114 to 118 were added to the Bill.

Clause 119.—(*Taxation of Union Properties*)

Shrimati Renu Chakravartty: In this clause the Union properties are being exempt from taxation. In another clause they are also being exempted from any betterment tax.

As far as the Delhi Municipality goes, as also all local self-government institutions, one of the biggest problems is that of finance for them. Therefore, in a place like Delhi, where the majority of the buildings, I would not say the majority but a very large portion of the buildings etc., belong to the Union Government, it will be a great hardship on the Municipality that the Union Government premises should not be taxed.

The argument is put forward from time to time that after all the finances of the Delhi Municipality will more or less be a charge upon the Union Government itself and it will be their duty to see that this local authority has enough funds. However that may be, this system which has prevailed for some time now that the Union Government premises are not taxed is wrong in principle. The local authorities or local self-government institutions should, as far as possible through their own taxation measures, be able to have a certain amount of funds at their disposal for carrying out their responsibilities, and from that point of view the properties of the Union should not be made exempt. Therefore I oppose this clause 119 and I feel that it should not be there, that the Union Government should pay its taxes to the local self-government authority and thereby enhance the funds and the capacity of the local institutions to carry out their functions.

Pandit G. B. Pant: Under the Constitution the properties which were assessed to tax before the implementation of the Constitution continue to be assessed and are charged. This is so even now. So, the lands and buildings which were taxable before the year 1951 will continue to be so. But, for others the Constitution provides that the Union properties will not be liable to such taxation.

Article 285 reads:

> "(1) The property of the Union shall, save in so far as Parliament may by law otherwise provide, be exempt from all taxes imposed by a State or by any authority within a State.
>
> (2) Nothing in clause (1) shall, until Parliament by law otherwise provides, prevent any authority within a State from levying any tax on any property of the Union to which such property was immediately before the commencement of this Constitution liable or treated as liable, so long as that tax continues to be levied in that State.".

Here is besides another law too which exempts all properties of the Central Government situated in the States from taxation. So, we are following the general law.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 119 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 119 *was added to the Bill.*

Clauses 120 *to* 142 *were added to the Bill.*

Clause 143—*(Prohibition of advertisements without written permission of the Commission)*

Shri Vajpayee: I beg to move:

Page 79, line 17, *add at the end* 'is repulsive to public taste and morality, or'.

Page 79, *after* line 23, *add*: 'Provided that no permission shall be necessary in respect of advertisements exempt from tax under section 142(1).'.

धारा १४२ में जो कि अभी हम ने पास की है विज्ञापनों के सम्बन्ध में करों की व्यवस्था की गई है और उस धारा में हम ने कुछ अपवाद छोड़े हैं जिन के सम्बन्ध में विज्ञापन करने पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया जायगा । (ए) से लेकर (एफ) तक वे अपवाद हैं । यदि कोई ग्राम सभा होगी या कोई अपनी खिड़की के सामने विज्ञापन करेगा या कोई सरकारी विज्ञापन होंगे तो उन पर टैक्स नहीं लगाया जायगा । जो इसके बाद की धारा है उसमें इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिन विज्ञापनों पर टैक्स नहीं लगाया जायगा उन्हें कमिश्नर की परमिशन के के बिना विज्ञापित किया जा सकेगा । धारा १४३ की इस समय जो शब्दावली है उसका परिणाम यह होगा कि प्रत्येक विज्ञापन के लिये चाहे उस पर टैक्स लगे या न लगे चाहे वह ग्राम सभा को विज्ञापन हो या अपने घर की खिड़की के सामने विज्ञापन हो यहां तक चाहे सरकारी विज्ञापन हो कमिश्नर की परमिशन लेना आवश्यक होगा ।

मैं समझता हूं कि यह पद्धति बड़ी जटिल है और इससे नागरिकों के सामने अनावश्यक कठिनाइयां खड़ी होंगी । इस लिये मैंने संशोधन संख्या ७९ के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि जो विज्ञापन धारा १४२ (१) के अधीन टैक्स से मुक्त होंगे उन के सम्बन्ध में परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी । मैं समझता हूं कि इस संशोधन के पक्ष में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । अगर गृह-कार्य मंत्री महोदय समझते हैं कि इससे कठिनाइयों से बचा जा सकता है और कोई उलझनें पैदा नहीं होंगी तो उन्हें इस को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

Mr. Deputy-Speaker: The two amendments are before the House.

पंडित गो० ब० पन्त : जो पहली अमेंडमेंट है कि जो रिपलसिव टु पब्लिक टेस्ट एंड मारेलिटी एडवरटिजमेंट हों, उन की इजाजत नहीं मिलनी चाहिये उस को इस में शामिल किया जा सकता है जब कि इस के बाई-लाज बनेंगे । क्लाज १४३ (२) (ए) कहती है—

"The Commissioner shall not grant such permission if the advertisement contravenes any bye-law made under this Act."

इन के अलावा और भी कई बातें होसकती हैं जिन के बारे में एडवरटिजमेंट की इजाजत नहीं मिलनी चाहिये । अगर उन सबकी तशरीह हो तो ठीक है नहीं तो जब बाई-लाज बनेंगे तो इस बात का ध्यान रखा जायेगा । क्लाज १४३ (३) यह कहती है —

"the Commissioner shall grant permission for the period to which which the payment of the tax relates......".

कमिश्नर को इस बारे में कोई आप्शन नहीं है कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई उसकी मुद्दत का टैक्स बढ़ा दे दे तो कमिश्नर परमिशन देगा। मैं समझता हूं कि इस में तरमीम करने से कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

Page 79, line 17,—

add at the end—

"is repulsive to public taste and morality, or"

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

Page 79,—

after line 23, *add*—

"Provided that no permission shall be necessary in respect of advertisements exempt from tax under section 142(1)".

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 143 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 143 was added to the Bill.

Clauses 144 to 169 were added to the Bill.

Shri Vajpayee: I beg to move:

Page 88, *omit* lines 39 and 40.

यह धारा पिछली धारा १६९ के साथ जुड़ी हुई है जिस में टैक्स न देने पर और जो भी टैक्स के बारे में अनुमान लगाया गया है उस पर आपत्ति होने पर अपील का विधान किया गया है। मेरा संशोधन धारा १७० की उप-धारा (बी) को हटा देने के सम्बन्ध में है। इस उप-धारा में कहा गया है —

"the amount, if any, in dispute in the appeal has been deposited by the appellant in the office of the Corporation.".

किसी व्यक्ति को अगर आपत्ति करना है तो वह आपत्ति करने का अधिकार उस को उस अवस्था में दिया जा रहा है जब कि वह जितना टैक्स उस पर लगाया गया है उस को जमा कर देगा। मैं समझता हूं कि हर एक व्यक्ति के पास इतना धन नहीं होगा कि वह पहले वह धनराशि जमा करे और फिर अपील करे। अगर अपील का फैसला उस के विरुद्ध होता है तो उससे टैक्स वसूल किया जा सकता है। उस की अपील स्वीकृत हो जाने पर उस को वह धनराशि नहीं देनी पड़ेगी। इसलिये यह व्यवस्था कर दी जानी चाहिये कि वह बिना धनराशि जमा किये भी अपील कर सके। धनराशि न जमा किये जाने पर अपील को निलम्बित करना न्यायपूर्ण नहीं है।

पंडित गो० ब० पन्त : यह कार्पोरेशन का मामला है। कार्पोरेशन का काम, जो कोई टैक्स वगैरह से उसकी आमदनी हो, उसी से चलता है। कार्पोरेशन की तरफ से जो टैक्स लगाया जाय, उसे लोग न दें और बहुत से आदमी अपील दाखिल कर दें, तो अपील के फैसले में तो मुद्दतें लग जाती हैं। नतीजा यह होता है कि अगर अपील का फैसला कार्पोरेशन के मुआफिक भी हुआ, तो रुपया मिलने में दिक्कत होती है और बाज मौकों पर नहीं भी मिलता है। इस तरह कार्पोरेशन का बजट चलता नहीं है। जो टैक्स लगाया

[पंडित गो० ब० पन्त]

गया है, तो आम कायदे के मुताबिक यह समझा जाता है कि वह सही तरीके से लगा हुआ है, जो कोई उस को ग़लत साबित करना चाहता है, तो वह रुपया जमा करके उसको ग़लत साबित कर सकता है। लेकिन अगर बगैर इस के अपील करने की इजाजत दे दी जाय, तो अपीलें बहुत होने लगेंगी, इसलिये कि लोग देखेंगे कि इसके लिये रुपया जमा करने की जरूरत नहीं है। इससे अदालतों का काम भी बहुत बढ़ जायगा और कार्पोरेशन के काम में भी परेशानी होगी।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

Page 88,—

omit lines 39 and 40

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 170 stand **part of** the Bill".

The motion was adopted.

Clause 170 *was added to the Bill.*

Clauses 171 to 370 *were added to the Bill.*

Clause 371.—(*Obligation to give information of dangerous disease*)

Shri Vajpayee: I beg to move:

Page 171,—*after* line 22, *add*—

"Provided that, if the owner or occupier of the said building so requests, the Commissioner shall, at reasonable charges, arrange to have cleansed and disinfected the building, or part of the building, or articles in such building or part, which are likely to retain infection".

उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा में अन्त में जोड़ने के लिये मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है। अभी धारा का जो स्वरूप है उसको और भी स्पष्ट करने के लिये यह संशोधन रक्खा गया है। अभी जो है उसके अनुसार

"Any person being in charge of, or in attendance, whether as a medical practitioner or otherwise, upon, any person whom we knows or has reason to believe to be suffering from a dangerous disease, or being the owner, lessee, or occupier of any building in which he knows that any such person is so suffering shall forthwith give information respecting the existence of such disease to the Municipal Health Officer"

उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था होनी चाहिये जिसका कि सुझाव मैंने अपने संशोधन के द्वारा दिया है कि

"Provided that, if owner or occupier of the said building so requests, the Commissioner **shall,** at reasonable charges, arrange to have cleansed and disinfected the building, or part of the building, or articles in such building or part, which are likely to retain infection".

मैं समझता हूं कि यह सामान्य संशोधन है और अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

पंडित गो० ब० पन्त : जो यह क्लाज़ है उसके साथ यह कुछ मेल नहीं खाता है क्योंकि उसमें तो सिर्फ यह है कि वह हेल्थ आफिसर को इत्ला देगा। इसके बारे में मैं समझता हूं कि बाईलाज और रेगुलेशंस बनेंगे और जो एक तजवीज बनेगी तब उस वक्त उस पर गौर कर लिया जायगा। वैसे वह बात माकूल सी मालूम होती है।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

Page 171,—

after line 22, *add*—

"Provided that, if the owner or occupier of the said building so requests, the Commissioner shall, at reasonable charges, arrange to have cleansed and disinfected the building or part of the building, or articles in such building or part, which are likely to retain infection."

The motion was adopted.

The question is:

"That clause 371 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 371 was added to the Bill.

Clauses 372 to 404 were added to the Bill

Clause 405— *(Provision of Municipal markets and slaughter houses)*

Shri Vajpayee: I beg to move:

Page 183,—

after line 40, *add*—

"(3) No milch cattle and no animal of the bovine species shall be permitted to be slaughtered in a municipal slaughter house".

अभी माननीय गृह-मंत्री ने कहा कि यहा दिल्ली में पशुओ का बध नही होता । उन्होने जो कुछ कहा है उसे मैं स्वीकार करता हूं और उसी के सम्बन्ध में मेरा यह संशोधन है कि विधेयक मे जो तथ्य है उसे हम शब्दावली में रख दें और ४०वी लाइन के पश्चात् इस बात को जोड़ दें ।

"No milch cattle and no animal of the bovine species shall be permitted to be slaughtered in a municipal slaughter house".

मै समझता हूं कि इस संशोधन के पक्ष में अधिक और कुछ कहने की आवश्यकता नही है । अगर यह सत्य है कि यहा बध नहीं होता तो यह स्वीकार करने में आपत्ति नही होनी चाहिये और अगर होता है तो मेरा निवेदन है कि इसे स्वीकार करने के लिये और भी अधिक कारण हैं । म्युनिसिपल कारपोरेशन के कसाईखानों में दुधारू पशुओं की हत्या न हो, इस बात का प्रतिबन्ध यह सदन इस इस विधेयक में लगाये इस बात की आवश्यकता है ।

Mr. Deputy-Speaker: The amendment is before the House

पंडित गो० ब० पन्त : जैसा कि मैंने पहले कहा था जहा तक मेरी इत्तला है, यहा गोवध नही होता है । जहा तक इस तरमीम का ताल्लुक है यह एक ऐसे सवाल को उठाती है जो कि एक म्युनिसिपल ला का हवाल नही है । अगर इस उसूल के ऊपर कोई अमल करना है तो एक जनरल ला होना चाहिये । सिर्फ कारपोरेशन के अन्दर इसको एक बैकडोर से लाना ठीक बात नही है । जब यहा होता नही है तो इस की जरूरत नही है । अगर इस बात को करना है तो साफ तौर पर इसका कानून बनाना चाहिये और इसका फैसला हो जाय मगर इससे म्युनिसिपैलिटी को जो फरायज करने हैं, उन्ही मे ताल्लुक है और उसमें अगर इसकी जरूरत रही भी तो वैसा करने में भी बहुत से सवाल उठते है जो कि खामख्वाह एक उलझन पैदा करते हैं जब कि इसकी जरूरत नही है ।

May I make a submission?

श्री वाजपेयी : मुझे याद है इस सदन में जब दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने की बात कही गई थी तब हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री महोदय ने कहा था .....

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप नये सिरे से एक दूसरी तक़रीर नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो किन्हीं अल्फ़ाज को एक्सप्लेन भले ही कर सकते हैं लेकिन नये सिलसिले से एक नई तक़रीर करना मुनासिब नहीं होगा ।

श्री वाजपेयी : माननीय गृह-मंत्री ने कहा कि कारपोरेशन अगर चाहे तो कर सकता है । मेरा निवेदन यह है कि जब दिल्ली के सम्बन्ध में हम नियम बना रहे हैं .....

उपाध्यक्ष महोदय : यह उन्होंने नहीं कहा है ।

The question is:

Page 183,—

after line 40, *add*—

"(3) No milch cattle and no animal of the bovine species shall be permitted to be slaughtered in a municipal slaughter house."

The motion was negatived.

The question is:

"That clause 405 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 405 was added to the Bill.

Clauses 406 to 488 were added to the Bill.

Clause 489—(*Power of Central Government to give directions in relation to primary schools etc.*)

Shri Vajpayee: I beg to move:

Page 224, line 9,—

after "teaching" *insert*—"pay scales, terms and conditions of teachers and other staff".

Page 224, line 9,—

omit "primary".

क्लाज़ ४८६ में कहा गया है :

"The Central Government may give the Corporation all such directions as it considers necessary in respect of subjects, curricula, text-books, standards and methods of teaching in primary schools vested in the Corporation or maintained wholly or partly by grants paid out of the Municipal Fund and in respect of such other matters as that Government considers necessary and the Corporation shall comply with all such directions".

इस में मैं ने यह संशोधन रक्खा है कि इसमें जो अधिकार केन्द्रीय सरकार के रक्खे गये हैं उन में यह भी आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार अध्यापकों की तन्ख्वाहों उन की नौकरी की शर्तों आदि के बारे में भी कारपोरेशन को निर्देश दे सके । मेरा संशोधन है कि ६वीं लाइन में जहां "standard and methods of teaching' लिखा हुआ है, उसके बाद इन चीजों को जोड़ दिया जाय । मैं समझता हूं कि अध्यापकों को इस से कुछ अधिक आश्वस्ति मिलेगी और वह अध्यापकों की जिस दुर्दशा का वर्णन किया गया उस का भी निराकरण हो जायगा ।

Mr. Deputy-Speaker: The amendmend is before the House.

पंडित गो० ब० पन्त : इसमें है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिदायत दे सकती है ।

"curricula, text books, standard and methods of teaching.....such other matters as that Government considers necessary".

इसमें अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट चाहे तो शायद वह इन बातों के लिये भी हिदायत दे सकेगी । मगर इसके लिये कारपोरेशन

की आमदनी भी देखनी होगी कि कितनी होती है और कारपोरेशन कितना बोझा उठा सकता है, कितने स्कूल्स हैं, कितने नये खुलने हैं। यह सब बातें देखकर ऐसी बातें आपस की रजामन्दी से ज्यादा हो सकती हैं बमुकाबले हिदायतों के। टेक्स्ट बुक वगरह के मामले में कारपोरेशन पर कोई खास खर्चा नहीं पड़ता। इसमें तो सिर्फ एक स्टेन्डर्ड है। जो कि कायम होता है ताकि तालीम ठीक ढंग की हो। लेकिन तनख्वाह वगरह की जो चीजें हैं वह तो एक दम बोझा उठाने की ही है। अब तो कारपोरेशन बन रहा है। अगर कारपोरेशन को इन पर गौर करने की जरूरत होगी तो वह करेगा। इन अदर मैटर्स में यह सब बात आ जाती है। इसके लिये कोई खास तसरीह करने की जरूरत नहीं मालूम होती।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

Page 224, line 9,—

after "teaching" *insert*—

"pay scales, terms and conditions of teachers and other staff".

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

Page 224, line 9,—

omit "primary"

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 489 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 489 was added to the Bill.

Clauses 490 to 509 were added to the Bill.

New clause 509A.

Amendment made:—

Page 231,

after line 8, *insert*—

"Provisions relating to existing local authorities in Delhi till the establishment of the Corporation.—

509A. (1) Notwithstanding anything contained in the Punjab Municipal Act, 1911, or as the case may be, the Punjab District Boards Act, 1883, as in force in Delhi, as from the commencement of this Act,—

(a) the persons who immediately before such commencement are members of any of the local authorities specified in items 1 to 10 of the Second Schedule shall cease to be such members;

(b) all the powers, duties and functions which may, under any of the aforesaid Acts or any other law, be exercised and performed by any such local authority, or by its President or Chairman, or by any committee thereof shall, until the establishment of the Corporation, be exercised and performed by a person (whether an officer of Government or not) to be appointed by the Central Government with such designation as it may specify:

Provided that the same person may be appointed in respect of all the aforesaid local authorities.

(2) Nothing in sub-section (1) shall be construed as effecting or implying in any way the dissolution of the aforesaid local authorities as bodies corporate. —[*Shri Datar*]

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That new clause 509 A be added to the Bill."

The motion was adopted.

Clause 509A was added to the Bill.

Clauses 510 to 515 were added to the Bill.

Schedules One to Thirteen were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Pandit G. B. Pant: Sir, I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

श्री ब० कु० नायर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले गृह मंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इतनी जल्दी ही इस विधेयक को इस हाउस में ला कर पास कराया। मुझे उम्मीद है कि उन के प्रोग्राम के मुताबिक ही अप्रैल की पहली तारीख से पहले ही यह कारपोरेशन वजूद मे आ जायेगी। इस सिलसिले में हमारी ज्वाएट कमेटी में काफी चर्चा हुई। हम ज्वाएंट कमेटी के प्रधान का भी बहुत ही आभारी है कि उन्होंने सब को इस बात का पूरा मौका दिया कि वह अपने विचार प्रकट कर सके। लेकिन यह एक अफसोस की बात है कि बावजूद इन तमाम बातो के इस हाउस के अन्दर चन्द साहबान ने कुछ विरोध प्रकट किया, खास कर हमारी रूरल एरिया कमेटी के बारे मे। किन्तु इस कारपोरेशन मे एक खास खूबी यह है कि तमाम इस रूरल एरिया को इस अर्बन दिल्ली के साथ मिला दिया गया। यह कहना कि ऊंट के साथ बकरी को बाध दिया गया, मैं इन्सानियत के प्रति, देहात की इन्सानियत के प्रति एक अपमान की बात समझता हू।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो बात आगे चली गई। थर्ड रीडिंग मे पहुचने के बाद तो बांधी नही गई।

श्री ब० कु० नायर : मुझे पहले बोलने का मौका नही मिला इसलिये मै इस समय चन्द गलतफहमियो को दूर करना आवश्यक समझता हू। इसकी मै आप से इजाजत चाहता हू। मै समझता हूं कि इस सदन के अन्दर भी ७० फी सदी से ज्यादा प्रतिनिधि देहात से आये है। इसलिये कह देना कि देहात को इसके साथ मिलाना बकरी को ऊंट के साथ मिलाना है, उनको शोभा नही देता। खास कर हम लोगो को जो देहात के इलाको से आते है। अगर नई दिल्ली से दो मील दूर जा कर देखे तो एक ऐन्टी क्लाइमेक्स दिखाई देता है। देहात के अन्दर अब भी पुरानी ही हालत है। उसी गरीबी की हालत में, उसी दरिद्रता और गन्दगी में उनका जीवन व्यतीत होता है। इसलिये अगर इस कारपोरेशन के अन्दर कोई खूबी लाई गई है तो वह यह कि इस लानत को दूर करने के लिये हमारे तमाम देहाती इलाकों को इस कारपोरेशन के साथ मिला दिया गया। मैं समझता हूं कि शायद पांच या दस साल के अन्दर हमारे तमाम देहात, जो कि साढ़े तीन सौ से ज्यादा है, सारे देश के लिये एक नमूना बन सकते हैं, सफाई की दृष्टि से, पानी और बिजली की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से एक नमूना बन सकते हैं। इसलिये यह जो तजवीज की गई कि इसको अलग करना चाहिये, यह बात एक जिम्मेदार नुमाइन्दे ने कही, मैं इसका बहुत विरोध करता हूं। हम सब शुरू से ही इस बारे मे पूरी तरह से सहमत थे कि देहात को दिल्ली अर्बन के साथ मिलाया जाय। हा, इसमे कोई शक नही कि इस तरह करने से देहातो को काफी दिक्कते और कठिनाइया उठानी पड़ेगी। यह भी महसूस किया गया। इसलिये इन दिक्कतो और कठिनाइयों को दूर करने के लिये बहुत से संशोधनों को ज्वाएट कमेटी मे मान लिया गया। इस बिल मे एक अलग कमेटी बनाई गई है देहातो के वास्ते और उसकी मार्फत देहातो को काफी अधिकार दिया गया है।

इसलिये अब आखिरी वक्त जब कि सिलेक्ट कमेटी का काम पूरा हो गया, ऐडवाइजरी कमेटी मे भी चर्चा हो चुकी और तमाम स्टेजेज खत्म हो चुकी, यहा पालियामेंट मे पास करने के वक्त यह कहना कि देहात को कारपोरेशन के साथ मिलाना अनुचित था, एक बिल्कुल असगत बात प्रतीत होती है। हम इसका विरोध का चाहते हं। कोई अनुचित चीज नही हुई है। इस वक्त भी यह कहना कि देहात के लोग इसके खिलाफ हे गलत ह। अगर हम देहात को कारपोरेशन मे शामिल न करते तो जैसा कि गृह-मंत्री जी ने कहा उसके लिये कोई रूरल

एरिया कमेटी बनाई जाती या कोई ग्लोरी-फाइड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाया जाता और उस पर दस बारह या १५ लाख रुपया खर्च किया जाता और कुछ खास सहूलियतें दी जाती। लेकिन इससे ज्यादा कुछ नही हो सकता था। लेकिन अब चूंकि देहात को कारपोरेशन का हिस्सा बनाया जा रहा है इसलिये हमको ज्यादा आशायें है और हम समझते है कि इस दशा में डेवेलपमेंट की ज्यादा गुजाइश है। इसीलिये धारा ३६ मे यह रखा गया है कि जो देहाती कमेटी होगी उसको देहात के तमाम मामलों मे दखल होगा और इसलिये देहात के सिलसिले में जो भी खराबिया या दिक्कतें होगी उनको इस कमेटी को कारपोरेशन के सामने पेश करने का अधिकार होगा। मै समझता हू कि यह काफी आशा देने वाली क्लाज है। यह जरूर इसमें नही किया गया है कि इस कमेटी की सिफारिशों को मानना कारपोरेशन के लिये आबलिगेटरी किया जाता लेकिन अगर इसके बजाय हम कनवेंशन कायम करके उसे चलाये तो उससे काफी दिक्कते दूर हो सकती है।

इसके अलावा और एक क्लाज यह जोड दिया गया है कि देहात मे ताल्लुक रखने वाली कोई चीज पर कारपोरेशन विचार नही कर सकती जब तक कि देहाती कमेटी को कंसल्ट न कर ले। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। मै कहता हूं कि यह एक शानदार बात है। इसको तो सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन ने खास हमदर्दी के साथ रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय अब तो हाउस की तारीफ कीजिये कि हाउस इसको पास कर रहा है।

श्री च० छ० भायर : सिर्फ इसको पास करने से ही काम नही चलेगा। देहात में चन्द गलत फहमियां फैली हुई हैं। यह हाउस ऐसी जगह है कि इसके अन्दर से हमारी आवाज सारे हिन्दुस्तान में पहुंच सकती है। कारपोरेशन के बारे मे यह कहा जा रहा है कि रूरल एरिया को अलग करके जुल्म किया गया है। इसका भी मैं विरोध करना चाहता हू। यह तमाम चीज हमारे हक मे की गई है।

इसमें एक और भी चीज है। देहात के क्षेत्रो के बारे मे हम अपना अधिकार पूरे तौर पर कारपोरेशन से ले सकते हैं और शहर को देहात पर कोई दखल नही है। इसके अलावा जानवरों पर या साईकल वगैरह पर जो टैक्सेज लगाये गये हैं उनकी वजह से भी लोगो को गुमराह किया जा रहा है। देहात को जिस भी टैक्स से हम एग्जेम्प्ट करना चाहेंगे उस टैक्स से देहात को एग्जेम्प्ट करने का अधिकार रूरल एरिया कमेटी को है। इससे ज्यादा मैं समझता हू रूरल एरिया कमेटी को और क्या अख्तियार दिया जा सकता है।

नई दिल्ली के बारे म हमारे दिल मे एक उमग थी। हम तो यही चाहते थे कि सारी दिल्ली के लिये एक ही कारपोरेशन हो और नई दिल्ली को अलग न किया जाये ऐसा करने से हमको पुराने इम्पीरियलिस्ट जमाने की याद ताजा हो जाती है। लेकिन हमे उम्मीद है कि दस पाच साल मे यह कमी भी पूरी हो जायेगी। अगर कारपोरेशन शानदार काम करके दिखायेगा तो कोई वजह नही है कि हम इसी सदन मे आकर यह न कह सके कि नई दिल्ली को भी कारपोरेशन के साथ जोड दिया जाये। मैं नही समझता कि उस वक्त इस बात का कोई भी विरोध करने वाला होगा।

मैं समझता हू कि तमाम चीज बहुत तसल्लीबख्श की गई है। कुछ लोगों को सबसे बड़ी शिकायत यह है कि चूंकि यहा से स्टेट हटा दी गई है इसलिये स्टेट के बराबर हक वाला कारपोरेशन हमको मिलना चाहिये

[श्री च० कु० नायर]

था । यह एक असंगत चीज है । सिविक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग चीज है और पोलिटिकल स्टेटस एक अलग चीज है ।

यह भी कहा गया है कि अगर यह कारपोरेशन सन १९३८ में या सन् १९४५ में या सन् १९४७ में लाया जाता तो हम मान लेते । लेकिन मैं कहता हूं कि मैं उस वक्त इसको न मानता । लेकिन अब मैं इसको मानता हूं क्योंकि हमने पोलीटिकल सेट अप का मजा चख लिया । और उसको सारी दुनिया ने भी देख लिया । शहर वालों ने भी देख लिया और पार्लियामेंट ने भी उसे देख लिया । और मैं समझता हूं कि यह हमारी खुश किसमती थी । पार्लियामेंट और हमारे प्रधान मंत्री दिल्ली को स्टेट देने के लिये बहुत खुश थे । उन्होंने एक नौजवान को चीफ मिनिस्टर बनाया । लेकिन अफसोस है कि हम अपने को उस अख्तियार के लिये काबिल साबित नही कर सके । इसलिये एस० आर० सी० रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि चूंकि दिल्ली दुनिया के बड़े शहरों में से एक है और अगर इसमें झगड़ा हो तो यह इन्टरनेशनल फील्ड में शोभा नही देगा, इसलिये यहां की स्टेट को खत्म करके एक कारपोरेशन बनाया जाये । और मैं समझता हूं कि उस कारपोरेशन के साथ एक बड़ी शानदार चीज यह रखी गई है कि जो अख्तियार स्टेट को भी मुहय्या नहीं किये गये थे वे अधिकार कारपोरेशन को दिये गये है ।

पहले जो अनेक स्टेट्यूटरी बाडीज थे उन्होंने यहां पर मिनिस्टर तक के नाक में दम कर रखा था । उनके काम में मिनिस्टर भी तबदीली नहीं कर सकते थे क्योंकि वे आटानोमस बाडीज थे जैसे कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, डी० डी० ए० और वाटर एंड सीवेज बोर्ड । इन बहुत सी चीजों को इकट्ठा करके इंटीग्रेटेड तरीके से कारपोरेशन में रख दिया गया है जिसके लिये हम बहुत ही शुक्र गुजार हैं । ऐसा होने से इन अलग अलग संस्थाओं की वजह से जो दिक्कतें होती थीं वे दूर हो जायेंगी । पहले यह हाल था कि एक मिनिस्टर अगर किसी बात को मान भी जाये तो दूसरा मिनिस्टर उसको लटका सकता था । लेकिन आज कारपोरेशन में वह चीज नहीं होगी । वह तो एक इंटीग्रेटेड होल होगा । इससे ज्यादा शानदार और क्या चीज हो सकती है ।

मैं चाहता हूं कि हाउस इस कारपोरेशन को आशीर्वाद दे और साथ ही साथ उसके काम को भी देखे ताकि हम पाच, छः या दस साल में नई दिल्ली को भी इसमें शामिल कराने के लायक बन जायें ।

डा० सुशीला नायर (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल पर बोलते हुये कुछ बहुत हिचकिचाहट सी हो रही है । कुछ चीजें जो कि मैं इस वक्त कहना चाहती हूं सही तौर पर पहले रीडिंग के वक्त कहना चाहिये था । उस समय यह नही हो सका ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे तो उसमें ऐतराज नहीं होता लेकिन यह रिकार्ड में गया हुआ अच्छा नहीं लगेगा । आप ही यह बात कह रही हैं कि इसको पहली रीडिंग में जाना चाहिये था ।

डा० सुशीला नायर : अगर आपको नामुनासिब मालूम हो तो आप मना कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ही ने ऐसा कहा है ।

डा० सुशीला नायर : मुझे यह ठीक लगा कि जो मैं कहना चाहती हूं उसको पहले

आप से यह कह दूं। मैं कुछ बातें कहना चाहती थी, और खास कर के हमारे आनरेबल साथी, नायर जी की तकरीर को सुन कर मुझे इस समय बोलने की आवश्यकता महसूस हुई। मैं जरूर गृह मंत्री साहब की और माननीय सदस्यों के साथ, आभारी हूं कि इतनी जल्दी से यह कारपोरेशन बिल पास हुआ, मगर मैं यह बात स्वीकार नहीं कर सकती कि यह बिल स्टेट गवर्नमेंट से अधिक शक्ति देने वाला है, या ज्यादा मौजू है, या उससे ज्यादा अधिकार देता है। यह बहुत मुनासिब है, बहुत ठीक हुआ है कि जो अलग अलग बिखरी हुई चीजें थीं डी० टी० एस०, वाटर सीवेज बोर्ड इत्यादि जिन्हें, स्टेचूटरी बाडीज बना कर स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार से निकाला हुआ था वे सब इस बिल के द्वारा इकट्ठी हो गई हैं। उस लिहाज से अफसोस इतना ही रह जाता है कि डेवलपमेंट का हिस्सा और नई दिल्ली का हिस्सा इसमें नहीं डाला गया। अगर वह भी डाल दिया जाता, तो कम से कम एक चीज मुकम्मल हो जाती, और इसके लिये दिल्ली के लोग पन्त जी को हमेशा याद रखते।

मैं नायर जी से इस बात में सहमत हूं कि अगर यह कारपोरेशन सही तरीके से काम करे, तो हम आशा रख सकते हैं कि गृह मंत्री महोदय जो हिस्से आज इस में से निकाल रहे हैं, उनको फिर इसमें शामिल करने के हक में जल्दी से जल्दी तैयार होंगे। मैं उसके लिये दस साल तक नहीं जाना चाहती, जैसा कि नायर जी ने कहा। मैं समझती हूं कि अधिक से अधिक इस पहली कारपोरेशन की जिन्दगी में यह फैसला हो जाना चाहिये कि आज जो हिस्से अलग रखे गये हैं, उनको कारपोरेशन में शामिल कर लिया जाय।

लेकिन जिस बात से मुझे खास तकलीफ हुई, वह यह है कि यहां कहा गया है कि दिल्ली को बड़े उत्साह से डेमोक्रेसी का हक दिया गया था, लेकिन उसे वापिस लेना पड़ा क्योंकि इसको रखने की काबिलियत यहां के लोगों में दिखाई नहीं दी। उपाध्यक्ष महोदय मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहती हूं कि डेमोक्रेसी ऐसी चीज नहीं है, जिसको व्यक्तियों की योग्यता या अयोग्यता के कारण अपनाया जाता है, या छोड़ा जाता है। अगर व्यक्तियों के कारण से ही डेमोक्रेसी को लेना है या छोड़ना है, तो मैं नहीं जानती कि हिन्दुस्तान में कितनी जगह पर आज हम डेमोक्रेसी को रख सकते हैं। मुझे याद आता है बापू जी का यह कहना कि अंग्रेज चले जायें, जनता अपना इन्तजाम खुद करेगी, वह अच्छा हो या बुरा हो, चाहे chaos ही क्यों न हो। उनको फिक्र नहीं होनी चाहिये। यह एक मानी हुई बात है कि Good Government is no substitute for Self-Government मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि इस बात का यहां पर महदूद ही जिक्र हो सकता है, क्योंकि इस देश में आज हमारी अपनी गवर्नमेंट है चाहे वह केन्द्र की हो, या स्टेट की हो, या सिविक एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर हो। मैं उन लोगों में से हूं जो यह मानते हैं कि तीन वोट का जो हक कांस्टीच्यूशन ने दिया है, वह सब जगह, सब को मिले। अगर कहीं पर कोई अयोग्य व्यक्ति है, तो उन व्यक्तियों को हटाना ज्यादा मुनासिब है बनिस्बत इसके कि उनकी वजह से सारी की सारी जनता से एक वोट का अधिकार ले लिया जाय।

माननीय गृह मंत्री ने कल अपनी तकरीर में यह कहा कि देहली की देख भाल पार्लियामेंट खुद करेगी। अगर इस बात का हमें यकीन हो कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के नुमाइन्दे के रूप में, गृह मंत्री महोदय, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को चलायेंगे, तो मैं तो कहूंगी कि आप बड़ी खुशी से इस कारपोरेशन को भी वापिस ले लीजिये, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि गृह मंत्री महोदय दिल्ली की जनता की आवश्यकताओं की तरफ पूरा ध्यान देंगे और दिल्ली के साथ पूरा न्याय करेंगे। लेकिन हकीकत क्या है जो बिल आज हमने बनाया है उसके तहत आपने सारी पावर्स कमिश्नर के पास रखी

[डा० सुशीला नायर]

है। उसका क्या अर्थ है ? मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यहां के चीफ कमिश्नर की उपमा होती है गवर्नमेंट आफ इंडिया के डिप्टी सेक्रेटरी के साथ । जो कारपोरेशन के कमिश्नर होंगे उनकी तुलना होगी किसी अंडर सेक्रेटरी के साथ, या शायद उससे भी कम दर्जे के साथ । गृह मंत्री महोदय को तो सारे हिन्दुस्तान की समस्याओं के बारे में सोचना है । दिल्ली के साथ पूरी सहानुभूति रखते हुए भी वह दिल्ली को कितना समय दे पायेंगे, मैं नहीं जानती । नतीजा यह होगा कि दिल्ली की समस्याओं का फ़ैसला करने वाले गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के अंडर सैक्रेटरी या असिस्टेंट सैक्रेटरी या इस प्रकार के व्यक्ति होंगे । आप दिल्ली की जनता की सारी आवश्यकताओं को उन लोगों के हाथ में सौंप रहे हैं । मैं बहुत अदब से कहना चाहती हूं कि यह ठीक चीज़ नहीं हुई है । इस सम्बन्ध में अभी भी कोई उपाय हो सकता है या नहीं यह गृह मंत्री महोदय देखें । उन्होंने कल अपने भाषण में कहा कि एग्जीक्यूटिव और डीलिबरेटिव पावर्ज़ को जुदा करना बड़ा आवश्यक है । मैं इस बात को मानती हूं । मगर मैं नम्रता के साथ कहना चाहती हूं कि इस पार्लियामेंट में भी एग्जीक्यूटिव और डीलिबरेटिव पावर्ज़ अलाहिदा की गयी हैं मगर पार्लियामेंट ने अपनी कुछ पावर्ज़ को डैलीगेट किया है जिससे पार्लियामेंट आखिर में सुप्रीम बाडी हो जाती है उन मामलों के मुताल्लिक जो कि उस को सौंपे गये हैं । कार्पोरेशन के बारे में ऐसी चीज़ नहीं है । अगर आप कार्पोरेशन को एग्जीक्यूटिव पावर्ज़ देते और वे पावर्ज़ आप डेलीगेट करवाते कमिश्नर को या जिस को आप चाहते तो कार्पोरेटर्ज़ की कोई हैसियत होती कोई स्टेटस होता उन की कोई पूछ होती । आज पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज़ के मेम्बर सरकारी अधिकारियों के पास जाते हैं तो सरकारी अधिकारी उन को कुरसी पर बैठने के लिए भी नहीं कहते । क्या दिल्ली के कारपोरेटर्ज़ की यही हालत होने वाली है । मैं मंत्री महोदय से बड़ी नम्रता के साथ कहूंगी कि वे ऐसी व्यवस्था करें कि दिल्ली के कार्पोरेटर्ज़ की जो डिगनिटी होनी चाहिए जो उन की हैसियत और स्टेटस होना चाहिए वह कायम रह सके और वे जल्दी से जल्दी इस विधेयक को अमेंड कर के इस को इस रूप में रखें कि कार्पोरेटर्ज़ अपने आप से अपनी एग्जीक्यूटेव सत्ता पावर्ज़ और जिम्मेदारी डेलीगेट कर दें बनिस्बत इसके कि वह उन के हाथ में हो ही न किसी को देने के लिये भी ।

मैं पोलीटिकल साईन्स और कास्टीच्यूशन मेकिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानती लेकिन इस बारे में एक मोटी सी बात मैं ने सुनी है और पढ़ी है और वह यह है कि पहली एसैनशियल बात यह होती है कि रैस्पांसिबिलिटी को कभी डिवाइड न किया जाय । पावर्ज़ तो डिवाइड हो सकती है लेकिन रैस्पांसिबिलिटी डिवाइड नहीं हो सकती । यहां हम ने रैस्पांसिबिलिटी को डिवाइड किया है । पालिसी बनाना और एक्सीक्यूट करना एक प्रोमेस है । एक्सीक्यूशन की पावर्ज़ को पोलिसी बनाने में आप पूरी तरह अलाहिदा नहीं कर सकते । क्योंकि जो आन दि स्पाट पालिसी को एक्सीक्यूट करने जाते हैं समय और परिस्थिति को देख कर उन को उस में छोटा मोटा परिवर्तन करना होता है । लेकिन जब आप ने पालिसी बनाने और अमल में रखने की पावर्ज़ जुदा कर दी अलग लोगों को दे दी तो ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता । कमिश्नर जब आन दि स्पाट पालिसी को एक्सीक्यूट करने जायगा तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उस को उस में लवलेश भी परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा । लेकिन उस को छोटा मोटा परिवर्तन करना पड़ेगा । उस के बिना उस का काम चल नहीं सकता । मैं मिसाल देकर स्पष्ट करना चाहती हूं । इस बिल की दो रीडिंग्ज़ हो गई हैं ।

जाहिर है कि तीसरी रीडिंग में इस में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है । लेकिन गृह मंत्री महोदय इस चीज को ध्यान में रख कर जो भी हिदायतें दे सकते हैं देहली का जो भी ओवर-आल सुपरविजन कर सकते है वह करें जिससे कि रैस्पांसिबिलिटी के फ़ील्ड में यह जो क्लीवेज हम ने इस विधेयक के द्वारा किया है उस का दुष्परिणाम कम से कम हो और जल्दी से जल्दी इस को दुरुस्त भी किया जाय । अच्छा होता कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट अपनी कुछ पावर्स जो कि उसमें वेस्ट करती हैं एग्जीक्यूटिव को डेलिगेट कर देती उसी तरीके से आप कारपोरेशन को पूरी सत्ता देते और वह उन में से एग्जीक्यूटिव पावर्स को कमिश्नर को डेलिगेट कर देते । अगर इस तरह आप कारपोरेशन को पावर्स देते और उनको कमिश्नर के लिए डेलिगेट करवा लेते तो वह मुनासिब बात होती और उनकी डिगनिटी के साथ वह एक मेल खाने वाली चीज होती ।

फिर अभी जो वार्ड कमेटीज बनी हैं और रूरल कमेटीज वगैरह बनी है उनकी आवाज में भी कनवेंशंस से जितना भी जोर आ सकता है आना चाहिये ।

कहा गया है कि कारपोरेशन को ज्यादा पावर्ज मिली हैं क्योंकि उसका रेवेन्यू दस करोड़ हो गया है । ज्यादा पावर्स खाली बड़ा रैवेन्यू होने से तो नही हो जाती । दिल्ली कारपोरेशन का रैवेन्यू १० करोड़ रुपये का भले ही हो गया हो लेकिन अगर आप विचार करें तो देखेंगे कि जितनी भी अलग अलग बोडीज कारपोरेशन में डाली गयी है, दिल्ली कमेटी, नोटिफ़ाइड ऐरिया कमेटी और दूसरी १२, १४ कमेटियां सीवेज बोर्ड, एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह, सब के रेवेन्यूज को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो जाहिर है कि वह रक़म बढ़ जायेगी । मगर यह कहना कि रैवेन्यूज के इस तरह बढ़ने से कारपोरेशन ी शक्ति बढ़ गयी या उसकी सत्ता बढ़ गयी, ऐसी बात नहीं ।

दिल्ली वालों को यह आश्वासन दिया गया था कि उनके लिए जो कारपोरेशन बनेगी वह अधिक से अधिक पावर्स वाली और अधिक से अधिक सत्ता वाली होगी ताकि यहां के नागरिकों को मंत्रिमंडल और विधान सभा की कमी महसूस न हो । मगर हक़ीक़त क्या है । दिल्ली की कारपोरेशन को बम्बई कारपोरेशन के बराबर भी पावर्स नहीं दी गई हैं । बम्बई कारपोरेशन मेडिकल कालेज चला सकती है उसका पूरा इंतज़ाम चलाती है मगर यहां हम देखते हैं कि कारपोरेशन से सेकेंडरी एजुकेशन को भी ले लिया गया है और बड़े बड़े अस्पतालों की भी कारपोरेशन को यह कह कर नही दिया जा रहा है कि उसके ऊपर खर्चे का बोझ न पड़े । अब जहा तक उन पर खर्चे का बोझ पड़ने का सवाल है तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है और जब वे कहते हैं कि दिल्ली को कैप्टिल होने का लाभ मिलता है तो खर्च की कमी वह पूरा करेंगे ही । जनता के प्रतिनिधियों की मार्फ़त यह सब काम चलाने का खर्च करने का इतना ही अर्थ होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जनता की आवाज के प्रति रिसपौंसिबल रहे, और डे टु डे प्राब्लम्स् में उन का जनता से निकट का सम्बन्ध रहे । मगर यह नही हुआ । मै समझती हूं कि दिल्ली कारपोरेशन को आपने देश की दूसरी कारपोरेशंस से बहुत कम सत्ता दी गयी है, ज्यादा नही ।

इस बिल को पढ़ करके कुछ ऐसा आभास होता है कि कल्पना यह की गई है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन ऐराइज होने वाली है और उसका सामना करने के लिए हम को तैयार रहना चाहिए और ताक़त अपने हाथ में रखनी चाहिए । मै नहीं समझती कि दिल्ली में किसी इमरजेंसी सिचुएशन की आशंका रखने का कोई विशेष कारण है और अगर कभी ऐसी कठिनाई पैदा हो भी जाय तो हमेशा गवर्नमेंट आफ़ इंडिया अपने पास रिज़र्व पावर्स रख सकती है । लेकिन रोजमर्रा की सारी चीजों को अपने कंट्रोल में लेने की

[डा० सुशीला नायर]

आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा मेरा नम्र निवेदन है ।

इसके अतिरिक्त यहां पर हम देखते हैं कि कारपोरेशन से नई दिल्ली को अलग कर लिया गया है तो जब नई दिल्ली को अलग कर लिया गया जिसमें कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया का कैप्टिल बैठा हुआ है तो फिर यह केस कि कैप्टिल यहां होने के कारण सारी पावर्स गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के पास रहनी चाहियें, बिलकुल गिर जाता है । अगर नई दिल्ली कारपोरेशन के पास रहती तब तो गवर्नमेंट आफ़ इंडिया द्वारा कुछ विशेष पावर्स अपने पास रखने के लिये कुछ भी कस हो सकता था लेकिन चूंकि नई दिल्ली को आप कारपोरेशन से अलग रख रहे हैं, तो वह सवाल उठता ही नहीं है ।

यहां पर वाशिंगटन की ऐनालेजी दी गयी है । उसके सम्बन्ध में मैं नम्रता से निवेदन करना चाहूंगी कि वाशिंगटन का आज से कई सौ साल पहले कास्टीट्यूशन बना था । इस चीज़ को हम नज़र से हटा सा देते हैं । उन्हीं अमरीका वालों ने जिन्होंने वाशिंगटन का सैकड़ों साल पहले कास्टीट्यूशन बनाया था, टोकियो का अभी अभी बनाया है । हम टोकियो के मौडेल को क्यों नहीं देखते, जिसमें कि अधिक से अधिक सत्ता वहां के लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन को दी गई है । वह स्टेट नहीं है लेकिन कारपोरेशन से वह बहुत कुछ अधिक है । काफ़ी सत्ता उसको दी गई है । हम ने नम्रता से निवेदन किया था कि हमको देहली में टोकियो के मौडेल पर सत्ता दे और कारपोरेशन को पावर्स देते वक्त टोकियो के मौडेल को ध्यान में रखा जाय, लेकिन वैसा नहीं किया गया ।

अब इस थर्ड रीडिंग के आखिरी स्टेज पर मेरा इतना ही नम्र निवेदन है कि इस विधेयक को वर्क आउट करने में आप अधिक से अधिक देहली की जनता का ध्यान रखिये और अधिक से अधिक सवालों को मंत्री महोदय अपने हाथ में लें और अपनी आंखों के सामने से गुज़ार कर फ़ैसला दें ताकि दिल्ली के रहने वालों को इस बात का भरोसा हो कि उनकी आवश्यकताओं और प्राब्लम्स् की तरफ सरकार जागरुक है, और उनके प्रतिनिधि उनको हल करने के लिए प्रयत्नशील हैं । मुझे अपने माननीय गृह मंत्री महोदय का बोझ बढ़ाते हुए बहुत तकलीफ़ होती है और मैं जहां तक हो सके उनके बोझ को नहीं बढ़ाना चाहती मगर लाचारी है । मैं आशा रखती हूं कि गृह मंत्री महोदय इस दिल्ली कारपोरेशन बिल में जो खामियां रह गई हैं और मैं समझती हूं कि इस में भारी खामियां मौजूद हैं उन को जल्दी दुरुस्त करेंगे । और इस दरमियान दिल्ली के लोग अधिक से अधिक जिम्मेदारी के साथ जितनी मर्यादित शक्ति और सत्ता मिली है उसका सदुपयोग करेंगे और यह विश्वास सम्पादन कर सकेंगे कि जो सत्ता उनके हाथों से आज खींच ली गई है, उसको जल्दी से जल्दी गृह मंत्री महोदय उनको दे सकें ।

Dr. P. Subbarayan (Tiruchengode): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to congratulate the hon. Home Minister for the passage of this measure. I think it is a step taken in the right direction to place the local self-government in Delhi on a more satisfactory basis. This is, if I may say so, an experiment in the matter of local self-government, of uniting the urban and the rural areas. Though local self-government has been known to India for many years, there is no single instance where an urban and a rural area have been added together and put into the hands of one administration. I hope the experiment will succeed, because, after all we live in the same country, whether urban or rural, and I hope the representatives of the people in the new Corporation will put the interests of the rural areas in the forefront and see what they can do to bring modern amenities to rural areas.

The controversy has really raged round the exclusion of New Delhi. I think the hon. Home Minister has tried to expound why this has been done time and again, both in the Joint Select Committee and also on the floor of this House. The situation is that New Delhi was built entirely for the Government People should not forget it, and most of the buildings in New Delhi, I believe over 90 per cent, belong to the Government, and are occupied either by Government servants or by Members of Parliament. So, in the interests of the people and in the present situation, I think it is best at least for the present, till we know how the new Corporation works, that New Delhi is excluded from the area of the new Municipal Corporation They do not lose anything by this, because they have a large area to administer and they have been given plenty of powers, investing the Electricity Board, Joint Water and Sewage Board, etc., in the hands of the new Corporation

Much criticism has been levelled against the appointment of a Commissioner In my little experience of the Madras Corporation, I can say that this has worked most satisfactorily. After all, the policy is to be laid down by the members of the Corporation, and the Commissioner, as the executive officer of the Corporation, has to carry out what has been decided by the Corporation.

Criticism has been made as to why the Mayor is made only an ornament and no powers are vested in him. I think if the Mayor is an able man he can exercise a great deal of influence in the matter of administration. He can make his Commissioner understand his point of view and carry out what he wants, because I know from my experience of the Madras Corporation that—there have been precedents before—Mayors time and again were able to influence their Commissioners in such a way that what they wanted in the matter of slum clearance, in the matter of laying roads or improving roads, or in getting better water-supply for the Corporation, was fulfilled, and such things were largely influenced by the Mayor himself. I can cite the example of Mr. Satyamurthi. If the Poondi reservoir scheme is there today and if the water-supply in Madras is better than it was before Mr. Satyamurthi became Mayor—even though it still lacks what is needed—it was due to his efforts and the energy and the dynamism he showed in bringing about this Poondi reservoir scheme and thus making the water-supply of Madras better than what it was before. There are other things Mr. Satyamurthi did also; not that I want to....

Mr. Deputy-Speaker: Much more need not be said about Mr. Satyamurthi

Dr. Subbarayan: I am only saying as an example what a Mayor can do, even though he may not have powers vested in him by the statute, to influence opinion and get things done. All that I say is that it depends on the dynamism of the Mayor, on the drive he possesses to bring about what he wants, even though executive powers may be vested in the Commissioner. I was citing Mr. Satyamurthi's example, because that example occurred to me as I was connected with the Poondi reservoir scheme as a Minister when Mr. Satyamurthi was Mayor. That is the only reason for my mentioning it.

As I said, the members of the Corporation have the power either to make or to unmake the Corporation. It is the policy they lay down and the resolutions they pass on which will depend the administration of the Corporation. I am sure the senior members of the service would be appointed as Commissioners and they will carry out what is wanted and what has been decided upon by the Corporation.

There was also a criticism as to why the Government should appoint

[Dr. Subbarayan]

the Commissioner and not the Corporation.

Mr. Deputy-Speaker: May I request the hon. Member to conclude shortly.

Dr. Subbarayan: I hope I will be allowed to reply to the criticism that has been made.

Mr. Deputy-Speaker: That criticism need not be taken so seriously in this third reading.

Dr. Subbarayan: I think the third reading is meant also to reply to criticisms. That is what I am trying to do in order to support what has been carried out by the provisions of the Bill.

Mr. Deputy-Speaker: What has been done may be commented upon and also what ought to be done may be said, but in a brief manner.

Dr. Subbarayan: I was only going to say what ought to have been done in this connection. I wish the hon. Home Minister followed the Madras precedent, by which the Government sends certain names for appointment as Commissioner to the Corporation and from those names, they can select one who is subsequently appointed by the Government. Though not provided in the Act, I trust the Government may adopt it in practice. That is how the Commissioner is appointed in Madras and that might have satisfied some of the democratic feelings of my friends.

The hon. Lady Member who spoke before me talked of Tokyo. May I cite to her the example of Canberra in Australia where the city is excluded for the simple reason that it is built as the capital of the Government and the Government naturally want to keep the powers to themselves.

Dr. Sushila Nayar: I was talking about the old model; not the new one, represented by Washington and the new model represented by Tokyo.

Mr. Deputy-Speaker: Both are right.

Dr. Subbarayan: Canberra I admit is more recent than Tokyo. As a matter of fact, I think it is correct that at least for the present, New Delhi should be excluded from the purview of the Corporation.

To conclude, I wish the new Corporation every success I wish them godspeed in the new venture that is placed in their hands. I hope when their labours are done, they will be able to satisfy the rural areas and to see that their interests are not made to suffer by being connected with the urban area of old Delhi.

श्री नवल प्रभाकर : उपाध्यक्ष महोदय दिल्ली वालों का एक स्वप्न था और वह स्वप्न सन १९२८ से चला आ रहा है। सन् १९२८ में एक माग की गई कि दिल्ली में कारपोरेशन बने। उसके बाद सन् १९३९ में हमारे दिल्ली के नेता आदरणीय आसफ अली जी ने दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी में एक प्रस्ताव रक्खा। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया और उस में यह तय किया गया कि दिल्ली के लिए एक नगर निगम बनाया जाए। उसके बाद सन १९५२, १९५४ और १९५७ में बार बार इस चीज को दोहराया गया। और यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज हम इस कारपोरेशन विधेयक को पास कर रहे हैं। इसको पास करते हुए इस बीच में काफी कठिनाइयां आईं। दिल्ली के लोगों में बड़ी निराशा थी वह समझते थे कि न जाने कारपोरेशन का बिल कैसा आएगा और उसमें क्या क्या होगा। हम जानते हैं कि पिछली लोक सभा में बार बार यह पूछा गया। जब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जाता था तो दिल्ली के प्रमुख व्यक्ति यही सोचते थे कि आखिर हमारा क्या नक्शा होगा हमारा क्या खाका होगा ? हम आगे जाकर किस रास्ते पर चलने वाले हैं और किस रास्ते पर पहुंचने वाले हैं। यह

सब उन की कल्पनाएं थीं उन के स्वप्न थे। विचित्र कल्पनाएं थीं। कोई सोचता था कि न जाने यह जो म्यूनिसिपल कमेटी है उसका क्या ढांचा हो। कहीं इससे भी खराब न हो। बहुत अजीब तरह के ख्यालात थे। लेकिन जैसे ही कारपोरेशन विधेयक हमारे सामने आया हम सोचने लगे। हम तो जनसाधारण में रहने वाले व्यक्ति हैं ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं या बड़ी बड़ी जगहों में जाने का मौका नही मिलता फुर्सत भी नहीं है। हम गरीबों के मोहल्लों और बस्तियों में रहते हैं हम देहात का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हमने यह देखा कि एक ऐसे कारपोरेशन को हम स्थापित कर रहे हैं जिसमें देहात भी होगा जब विधेयक हमारे सामने आया हम देहात के लोगों से मिले तो उन्होंने कहा कि यह जो विधेयक है उसमें कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है देहात के सम्बन्ध में। हम प्रवर समिति के सामने गए। हम ने माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना की और कहा कि आप एक अनोखा प्रयोग करने जा रहे हैं संसार के अन्दर। देहात को कारपोरेशन के साथ मिला रहे हैं। ऐसा न हो कि देहात के लोगों को किसी बात की कठिनाई हो और देहात के लोग यह अनुभव करें कि हम कारपोरेशन में मिलने में कष्ट में रहे घाटे में रहे। मैं गृह मंत्री जी को और इस सदन को धन्यवाद देना चाहता हूं संयुक्त समिति को भी जिन्होंने इस को पास कराया। उन्होंने देहात के लिए जितना भी वह दे सकते थे दिल खोल कर दिया। देहात के लोगों को जो भी शंकाएं थीं उन के मन में जो भी भय था उस का निवारण किया गया।

यहां पर दिल्ली के स्कूलों का बहुत जिक्र किया गया। दिल्ली के स्कूलों की हालत बहुत भयावनी है। अब हम ने कारपोरेशन का विधेयक लगभग पास कर दिया है। आज हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूलों के अन्दर भेड़ बकरियों की तरह से घेर कर इकट्ठा कर बिठा दिए जाते हैं, मास्टरों की केवल यही ड्यूटी होती है कि वह उनको उस कमरे के अन्दर बन्द रखें और समय पर छोड़ दें। आज जो भी माता पिता दिल्ली में हैं उनको शिक्षा के मामले में बहुत ही निराश होना पड़ता है। म्यूनिसिपल कमेटियों के पास इतना फंड नहीं है, उन के पास इतने अध्यापक नहीं हैं। मैं आप से क्या कहूं ? देहातों के अन्दर कमेटियों के पास इतना पैसा नहीं था कि वह प्राइमरी स्कूलों को चला सकें। आखिरकार हार कर उन्होंने उन को दिल्ली राज्य के प्रशासन को सौंप दिया। मैं यह आशा करूंगा कि इस विधेयक से हमारे देहात के लोगों को और हमारे शहर के रहने वालों को एक आशा की किरण दिखाई देगी कि उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। पढ़ाई का स्टेन्डर्ड ऊंचा हो सकेगा। और जब दूसरी जगहों से दूसरे शहरों से लोग दिल्ली के नगर निगम को देखने आयेंगे और यहां की प्राइमरी शिक्षा को देखेंगे तो वे यह भावना ले कर आयेंगे कि यहां बहुत संतोषजनक ढंग से शिक्षा का काम होता है। और दिल्ली के लोगों को भी संतोष होगा जब उन्हें आगे आकर इस प्रकार की सुविधायें मिलेंगी।

मुझे एक आशंका है और उसके सम्बन्ध में मैं जरूर कुछ जिक्र करना चाहता हूं। अक्सर यह देखा गया है कि म्युनिसिपल कमेटियों में हरिजनों को उनके अनुपात से जो नौकरियां दी जाती हैं वे छोटी नौकरियां होती हैं और जब जब पूछा जाता है तो झाड़ू देने वाले मजदूरों की गिनती भी उनमें करा दी जाती है। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि झाड़ू लगाने का काम हरिजनों के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। अगर कोई और भी कर सके तो उसके लिए द्वार खोल दिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हरिजनों को उनके अनुपात से अधिकारी वर्ग में और दूसरी जगह नौकरियां दी जायें।

आज जो हरिजन भाई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी में झाड़ू लगाते हैं उनकी अवस्था बहुत

[श्री नवल प्रभाकर]

दयनीय है । वे लोग झाड़ू लेकर कमर झुका कर झाड़ू लगाते हैं । यह मानवता की दृष्टि से अनुपयुक्त है । मैं बहुत सी जगहों में अपने देश में ही गया हूं और मैं ने देखा है कि वहां झाड़ू लगाने का तरीका दूसरा है । लेकिन यहां पर वही तरीका चला आ रहा है जो कि सैकड़ों सालों पुराना है यानी कि कुछ सीकें इकट्ठा करके झाड़ू बनायी जाती है और नीचे झुककर उसे लगाना पड़ता है जिससे उन लोगों की कमर टें हो कर रह जाती है । मुझे उम्मीद है कि आने वाले जमाने में हरिजनों को भी आशा की एक किरण दिखायी देगी ।

मैं दिल्ली नगरपालिका का सदस्य रह चुका हूं । मुझे मालूम है कि वहां सदस्य किस तरह से काम करते थे । यहां पर एग्जीक्यूटिव अधिकार की बात कही गयी कि सदस्यों को आजकल एग्जीक्यूटिव अधिकार बहुत ज्यादा हैं । यह ठीक है । वे चाहे तो जा और बेजा तौर पर सैनीटरी इंस्पैक्टर से बुला कर चालान करवा सकते हैं, वे चाहें तो बनती हुई सड़क को रुकवा सकते हैं ।

Mr. Deputy-Speaker: I hope the House would not mind sitting for a few minutes more to enable the honourable Member to conclude his speech.

श्री नवल प्रभाकर : वे इस तरह से काम करते हैं । मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं जो कि सदस्यों को एग्जीक्यूटिव अधिकार देना चाहते हैं कि यह देखा गया है कि कुछ सदस्य दलबन्दी बना लेते हैं, वे कहते हैं कि अमुक काम इस तरह होना चाहिए, दूसरे सदस्य यह कहते हैं कि अमुक तरह होना चाहिए और इस तरह झगड़ा होता है और काम रुक जाता है । आज दिल्ली के म्युनिसिपल सदस्यों को फाइल मंगाकर देखने का, पढ़ने का और उस पर नोट लिखने का भी अधिकार है । मैं ने देखा है कि एक फाइल पर एक सदस्य एक तरह का नोट लिखते हैं और दूसरे फौरन फाइल मंगा कर उस पर दूसरे ढंग का नोट लिख देते हैं और इस तरह एग्जीक्यूटिव अधिकारी बड़े सशोपंज में पड़ जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो आप उम्मीद करते हैं कि कारपोरेशन में ऐसा नहीं होगा ।

श्री नवल प्रभाकर : मेरी कुछ आशंकायें हैं । मैं चाहता हूं कि कारपोरेशन में ऐसा न हो ।

इसके अलावा मुझे यह कहना है कि मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है वह बहुत पिछड़ा हुआ है । उसमें विस्थापित लोगों की बस्तिया हैं, अर्ध विकसित बस्तियां हैं, देहात का इलाका है और गन्दी बतिस्यां हैं । क्या मैं ऐसा विश्वास करूं कि इस विधेयक के पास होने से उन बस्तियों में सुधार होगा इन स्थानों के लोग यह अनुभव करते हैं कि जिस कारपोरेशन की हम सन् १९२८ में आशा कर रहे थे वह कारपोरेशन अब दिया गया है और उनकी आशा है कि वह उनके लिए एक नव प्रभात लेकर आया है ।

अन्त में मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, मैं उनका अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने इतने थोड़े समय में जितना भी सुन्दर से सुन्दर विधेयक ला सकते थे लाने का प्रयत्न किया है और जितनी जल्दी उसे पास करवा सकते थे पास करवाया है । दिल्ली वाले आशा करते हैं कि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी निर्वाचन कराया जायेगा । और मैं समझता हूं कि अगर मार्च में नहीं तो पहली अप्रेल तक यह नगर निगम बन जायेगा और अपना काम शुरू कर देगा और उसको इस सदन का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त रहेगा ।

Pandit G. B. Pant: I am grateful to the hon. Members for facilitating the speedy passage of this Bill. It goes out with the blessing of the entire House. We all wish and pray that the Corporation that will come into

existence as a result of the implementation of the scheme embodied in this Bill will succeed in serving the people of Delhi. We wish the Corporation godspeed and success.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed".

The motion was adopted.

Shri T. B. Vittal Rao: What about the agenda for tomorrow?

Mr. Deputy-Speaker: You would be getting it in the morning. Is the Delhi Development Bill going to be taken up tomorrow?

Pandit G. B. Pant: No.

Shri A. K. Gopalan: Probably the motion on the food situation.

Mr. Deputy-Speaker: That is perhaps not yet ready. That will be taken up on Tuesday.

Shri Rane (Buldana): We would be taking up the Bill about nursing tomorrow.

17·08 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 29th November 1957.